न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 07 / अपील (आर0टी0आई) / 2021

शेलेन्द्र जैन
निवासी– धानमण्डी,जैन मन्दिर की गली,झालावाड़ (राज0)(अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांकः 23.12.2021

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा सूचना नही गई है प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.10.2021 को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलक्टर,झालावाड़ से कार्यालय के पत्र कमांक / राजस्व / 2021 / 1778–78 दिनांक 05.10.2021 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गए आदेश की पालना की रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई थी। लेकिन प्रार्थी को न तो नकल उपलब्ध कराई गई न ही प्रत्युत्तर दिया गया। वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः 23.12.2021 नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा उपस्थित हो जवाब पेश किया गया व उसकी प्रति स्वंय अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जवाब पेश किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से आवेदक को उपलब्ध कराई गई है। उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा आवेदक को भिजवाये गये पत्रः 2573 दिनांकः 16.12.2021 व आयुक्त नगर परिषद झालावाड़ / तहसीलदार झालरापाटन को भिजवाये गये पत्रः 2548–49 दिनांकः 14.12.2021 की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार आवेदक स्वंय को भी उक्तानुसार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाना साबित है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है । अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है अतःअपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 23.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

दिनांक

कमांकः 250-52/रीडर/21

प्रतिलिपीः–

01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी झालावाड़
03. शेलेन्द्र जैन,निवासी– धानमण्डी,जैन मन्दिर की गली,झालावाड़ (राज0)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़